हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की विशेष बैठक शनिवार, दिनांक 27 मई, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

27.05.2017/1100/केएस/एएस/1

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री, माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार हैः-

शनिवार, 27 मई, 2017 - शासकीय/ विधायी कार्य

27.05.2017/1100/केएस/एएस/2

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

अध्यक्षः अब सचिव, विधान सभा सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगें जिन्हें महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i) हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 7); और

ii) हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 8)।

27.05.2017/1100/केएस/एएस/3

विधायी कार्यः

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.5.2017/1105/av-as/1

अध्यक्ष :--------- क्रमागत

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) पुरःस्थापित हुआ।

सरकारी विधेयक पर विचार विमर्श एवं पारण

अब सरकारी विधेयक पर विचार विमर्श एवं पारण होगा।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

अब इसपर सदस्य बोल सकते हैं।

Chief Minister: Hon'ble Speaker, Sir, at the outset I would like to present before this August House the background of this Bill. Indirect Tax Reform in India started in the mid eighties with the introduction of MODVAT on select commodities falling under the ambit of Central Excise in the year 1986. In the year 1991, a Tax Reform Committee under Raja Chelliah was set-up, which submitted its report in the year 1993, recommending major tax reforms. Thus

27.5.2017/1105/av-as/2

the efforts were initiated towards introduction of VAT by the Committees of States Finance Ministers in 1995 and 1998 respectively and that of the Committee of the Chief Ministers in 1999. VAT was finally introduced on 1st April, 2005 across the country with the exception of Haryana, which implemented the said tax in 2003. Although the Kelkar Committee had suggested a comprehensive Goods and Services Tax in the year 2003, however, it was Shri P.C. Chidambram, the then Union Finance Minister, who in his Budget speech for the year 2006-2007 proposed to move towards a National level Goods and Services Tax. He proposed 1st April, 2010, as the date for introduction of GST. Thereafter, the Empowered Committee of State Finance Ministers released the first discussion paper on 10th November, 2009 and recommended dual GST Model for India.

..Continue in Eng. by DC…

27/05/2017/1110/DC/TCV/1

Hon'ble Chief Minister continues…..

In the Budget Speech of 2010-11, Shri Pranab Mukharjee, the then Finance Minister, extended the deadline by one year, stating that, I quote "We are actively engaged with the Empowered Committee to finalize the structure of GST as well as the modalities of its expeditious implementation. It will be my earnest endeavour to introduce GST along with DTC (Direct Tax Code) in April, 2011."

It was then that the 115th Constitutional Amendment Bill for introduction of GST was tabled in the LoK Sabha on 22nd March, 2011. The UPA Government at the Centre was keen to introduce and pass the Constitutional Amendment Bill. However, due to lack of political consensus, the Bill was referred to Standing Committee on 29th March, 2011. The Standing Committee finally gave its report towards the last year of the Government and hence the 115th Constitutional Bill lapsed with the dissolution of the Lok Sabha.

Lastly, the Congress convinced the Government to accept its demands to scrap the 1% additional levy on supply of the goods and for giving more teeth to the grievances redressal mechanism. This helped in forging a consensus, thus leading to implementation of GST in the Country. Hon'ble Speaker, Sir, I would now like to give this August House a brief overview of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Bill, 2017(Bill No-6 of 2017).

27/05/2017/1110/DC/TCV/2

Overview on Goods and Services Tax

1. **Benefits:**
    a. India to be a common market with common tax rates and procedures.
    b. It would benefit the industry through better cash flows and better working capital management.
    c. GST will bring down the cost of goods and services as there will be no cascading effects of taxes.
    d. GST is expected to increase revenue by widening the tax base and improving the taxpayer compliance.

e. GST is likely to improve India's ranking in the Ease of Doing Business Index.

f. GST is estimated to increase the GDP growth by 1.5% to 2 %.

g. GST will bring more transparency to indirect tax laws.

2. <u>Salient Features of GST:</u>

a. GST will be applicable on the supply of goods and services.

b. It would be destination based consumption tax.

c. It would be a dual GST with the Centre (CGST) and States (SGST) simultaneously levying tax on a common tax base.

27/05/2017/1110/DC/TCV/3

d. In Himachal Pradesh Taxpayers with an aggregate turnover in a Financial Year up to RS. 10 lakhs to be exempted from tax.

e. Small taxpayers with an aggregate turnover in a Financial Year up to Rs. 50 lakhs shall be eligible for composition levy.

f. Registration will be granted online within 3 common working days.

This is the background history of GST in the Country. How it was voted. How it passed through the various phases of discussions in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and also among the States. After this the final Bill has been passed, it has the National consensuses. I commend this Bill for the acceptance of this Hon'ble House.

Continued by NS in hindi….

27/05/2017/1115/ एन0एस0/डी0सी0/1

अध्यक्षः अब माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी चर्चा में भाग लेंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश जी0एस0टी0 बिल सदन में प्रस्तुत किया है। मैं माननीय सदन में इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्वतंत्र भारत का यह सबसे बड़ा (इकनोमिक रिफोर्म) आर्थिक सुधार है। पहले कारोबार करने वाले लोगों और कन्जयूमर्ज़ को कई तरह के टैक्सिज़ देने पड़ते थे। जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, Central Excise Duty, Duties of Excise, Additional Duties of Excise, Additional Duties of Customs , Special Additional Duty of Customs.

श्री आर0के0एस0.....जारी

27/05/2017/1120/RKS/HK/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल...जारी

इसके अतिरिक्त वैट, सैंट्रल सेल टैक्स, लग्ज़री टैक्स, एंटरी टैक्स, एंटरटेनमैंट टैक्स, एम्यूजमैंट टैक्स, Tax on Advertisement, परचेज़ टैक्स, लॉटरी पर टैक्स और Betting and Gambling ऐसी अनलिमिटिड संख्या होती थी जिनमें राज्य सरकारों को अधिकार होता था कि वे उन पर टैक्स लगा दें। इसके अलावा सर्विस चार्जिज़ भी लगते थे जोकि अब भी लगते हैं। देश में पहली जुलाई से जी.एस.टी. लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद उपभोक्ता, प्रोड्यूसर या मिडल मैन को एकमात्र टैक्स ही देना होगा।

अध्यक्ष महोदय, विश्व भर के 150 देशों ने इसको लागू किया है और उनका जी.डी.पी. (Gross Domestic Product) डेढ़ से दो परसेंट तक बढ़ा है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि इसको लागू करने के लिए बहुत पहले से प्रयास किए जा रहे थे। इसके लिए कई बार केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच चर्चाएं होती थी लेकिन कुछ मामलों में सहमति न बनने के कारण यह लागू नहीं हो सका। यू.पी.ए. सरकार ने वर्ष 2011 में जी.एस.टी. बिल इंटरोड्यूस किया था। रेवन्यू शेयरिंग कैसे हो, जो आमदनी होगी उसको कैसे बांटा जाए, टैक्स लगाने की पावर किसके पास होगी, सैंटर के पास होगी या स्टेट के पास होगी, ये इश्यूज़ ऐसे थे जिन पर समस्या का समाधान नहीं हो सका। लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार बनी तो फिर से चर्चा का दौर प्रारम्भ हुआ और ऐसे सभी मुद्दे जिन पर मतभेद थे, उन पर चर्चा करने के बाद एक सहमति बनी। आज देश के लिए खुशहाली की बात है कि सभी राजनीतिक दलों ने विशेषकर कांग्रेस पार्टी जो केन्द्र में विपक्ष के तौर पर काम कर रही है, उन्होंने इसमें सहयोग दिया। प्रत्येक राज्य इसको रैटिफाई कर रहा है। यह बिल राष्ट्रहित और प्रदेश हित में है। फैड्रल सिस्टम को महत्व देते हुए यह केन्द्र या प्रदेश पर नहीं छोड़ा गया है। इसके लिए एक कौंसिल गठित की गई है, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और राज्यों के वित्त मंत्रियों

27/05/2017/1120/RKS/HK/2

में से एक को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। इसमें लगभग एक तिहाई शक्तियां केन्द्र सरकार और दो तिहाई शक्तियां प्रदेश सरकारों के पास हैं। पहले यह विवाद था कि किस चीज़ पर कितना टैक्स होगा और यह कौन डिसाइड करेगा? श्रीनगर में जो लेटैस्ट मीटिंग हुई उसमें यह समाधान निकाला गया कि जी.एस.टी. कौंसिल इसका डिसाइड करेगी। यह प्रसन्नता की बात है कि देश भर के नेताओं ने मिलकर अलग-अलग मीटिंग्स के माध्यम से लगभग 1200 आइटम्स पर टैक्स लगाने की दरें तय की हैं। 7 प्रतिशत आइटम्स ऐसी हैं

जिन पर कोई टैक्स नहीं होगा। 14 प्रतिशत आइटम्स ऐसी हैं जो लोएस्ट ब्रैकेट, जिसका दर सबसे कम है 5 प्रतिशत में होगी। 17 प्रतिशत आइटम्स का रेट मात्र 12 प्रतिशत होगा।

श्री0 बी0 एस0 द्वारा जारी...

27/05/2017/1125/BS/HK/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल..... जारी

43 प्रतिशत का रेट 18 प्रतिशत होगा और 19 प्रतिशत आइटम्स ऐसी हैं जिनको साधारणतः आम आदमी उपयोग में नहीं लाता, उस पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 43 प्रतिशत का 18 प्रतिशत स्लैब और और 19 प्रतिशत में 28 प्रतिशत स्लैब, जैसा मैंने पहले भी कहा अध्यक्ष महोदय, और जो दैनिक उपभोग की चीजें हैं जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, या तो उनको कर से मुक्त रखा गया है या लोएस्ट ब्रैकेट जो 5 प्रतिशत की है, उसमें रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के बनने के बाद ये कंज्युमर फ्रैंडली होगा, उपभोक्ता के पक्ष में होगा, उससे उपभोक्ता को लाभ होगा और उसे राहत मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि सारा देश इस बात पर सहमत है कि गेहूं और चावल पर कोई टैक्स न लगाया जाये। अगर इन पर जी0एस0टी0 नहीं होगा तो खाने का सामान सस्ता होने की सम्भावना और बढ़ जायेगी, क्योंकि आज भी कुछ राज्य इस पर वैट लगाते हैं। प्रतिदिन उपयोग होने वाली चीजें जैसे चीनी, चाय, कॉफी ऐडिवल ऑयल और लाईफ सेविंग ड्रग्स पर लोएस्ट रेट में टैक्स लगेगा अर्थात यह मात्र 5% ही होगा। दहीं और दूध को इससे मुक्त रखा गया है, जिस पर पहले इंडायरैक्ट टैक्स लगते थे। ट्रेडर्स और प्रोडूसर्ज, जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, वे और जो व्यापारी है उनको भी केवल एक ही टैक्स देना होगा और पेमैंट भी इलैक्ट्रोनिक्ली इनटरनेट बैंकिंग से दिया जा सकता है। यह क्रैडिट कार्ड से हो सकता है, आर0टी0जी0एस0 से हो सकता है, नेफ्ट से हो सकता है। टैक्स पे करने के सभी चालान ऑन लाईन होंगे। अध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ

यह भी होगा कि केवल मात्र चीजें ही सस्ती नहीं होगीं अपतिु भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। जब ऑनलान सारी रिटर्न जायेंगी और टैक्स ऑनलाइन पे होगा तो physical interaction in- between taxing authorities and the consumer or the producer will not be there. उभोक्ता और उत्पादक को टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ डायरैक्ट बात करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑन लाईन सारा काम होगा। टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन ही

27/05/2017/1125/BS/HK/2

ऑनलाइन होगा और अगर तीन दिन के अन्दर उसको ऑन लाइन स्वीकृति नहीं मिलती और कोई आपत्ति भी नहीं आती तो यह मान लिया जाएगा कि उसको स्वीकृति मिल गई है। जो सैल्फ असैस्मैट का सिस्टम था उसको और ब्रोडवेज कर दिया गया है। जो असैसि है या जो टैक्स पेयर है वह आपनी असैसमैंट अपने आप करेगा और असैसमैंट के हिसाब से ही सरकार के खाते में पैसे जमा करवायेगा। इसका अधिकतर लाभ छोटे व्यापारी को होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में स्पैशल कैटागरी स्टेसस में 10 लाख तक की टर्न ओवर वाले जो लोग हैं उनको कोई रजिस्ट्रैशन की आवश्यकता नहीं होगी और न ही कोई टैक्स उन पर लगेगा।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात जिस पर वर्ष 2012 तक मतभेद रहा और इस सरकार के आने के बाद शुरू के वर्षो में भी जो मतभेद रहा, वह था कि अगर जी0एस0टी लागू होगा और उससे जो प्रदेशों को घाटा होगा उसको कौन पूरा करेगा। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में Goods and Services Tax Compensation to States Act, 2017, भी पास किया है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

27/05/2017/1130/DT/YK/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ....जारी

इसके माध्यम से पांच साल तक यदि किसी राज्य को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई केन्द्र करेगा। इसकी असैसमेंट के लिए बेस ईयर 2015-16 माना जाएगा। इससे राज्य का रेवन्यू हर वर्ष 14 प्रतिशत बढ़ेगा। यदि 14 प्रतिशत से कम आमदनी होती है तो उसकी मदद केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश एक उपभोक्ता राज्य है और इससे हमें अधिक लाभ होगा। इसलिए जितने जल्दी यह बिल पास हो जाएगा, उतना ही अच्छा होगा। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को एक बार फिर से बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि देश हित में यह एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। मैं प्रदेश सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि अब हम भी उन राज्यों की श्रेणी में आ गए हैं जो राज्य इस बिल को स्वीकार करके पास कर रहे हैं। इस बिल से निश्चित तौर पर देश और प्रदेश का भला होगा और अन्ततः साधारण नागरिक, उपभोक्ता, टैक्सपेयर सभी को इसका लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, हम इस बिल का समर्थन करते हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27/05/2017/1130/DT/YK/2

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। यह अवसर हिन्दुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। 70 वर्षों की आज़ादी के बाद इस जी0एस0टी0 अधिनियम के द्वारा सारा देश एक 'कर' व्यवस्था के अन्तर्गत ञOne Nation, One Tax and One Marketछ के रूप में उभर कर आएगा। मैं इसके लिए सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने फैडरल स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ कर सारे देश की राजनीतिक पार्टियों, 31 राज्यों

और केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर जी0एस0टी0 बिल को साकार किया ताकि यह बिल एक जुलाई से सारे देश में लागू हो सके।

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले टैक्स-सुधार की दिशा में विचार किया था। इसके लिए वर्ष 2000 में श्री असीम दास गुप्ता के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट आने के बाद वर्ष 2003 में ‘केलकर कमेटी’ बनाई गई। उसके बाद इस पर लगातार वर्ष 2017 तक पार्लियामैंट व कैबिनेट में अनेकों बार चर्चा हुई और इसके लिए ‘एम्पावर्ड कमेटी’ भी बनाई गई। पश्चिमी बंगाल के सी0पी0आई0एम0 सरकार के वित्त मंत्री कई वर्षों तक इस एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन रहे। बिहार से भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुशील मोदी जी जोकि वहां के वित्त मंत्री थे, भी इसके चैयरमेन रहे हैं। इस बिल पर कई वर्षों तक चर्चा होती रही लेकिन जब वर्ष 2014 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय अरूण जेटली जी भारत के वित्त मंत्री बने तो इस दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। इस बिल से सबसे बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश को होगा। यहां पर जो विनिर्माण क्षेत्र या मैनुफैक्चरिंग का क्षेत्र है, उसको बढ़ावा मिलेगा और इससे रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही पूरे देश में टैक्स का बेस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि इसमें लगभग दस लाख कारोबारी जो एक वर्ष में कारोबार करते हैं, उनको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने माल मंगवाना है या सेवाएं लेनी हैं तो उनको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर उन्हें अपने माल को बाहर भेजना है तभी उनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी व्यवस्था कानून के अंदर कर दी गई है

श्री एस0एल0एस0 द्वारा--------जारी।

27.05.2017/1135/SLS-YK-1

श्री सुरेश भारद्वाज.... जारी

कि 3 कार्य दिवसों के अंदर-अंदर अगर वह पूरे कागज़ प्रस्तुत कर देता है तो 3 दिनों के अंदर-अंदर उसका पंजीकरण हो जाएगा। आपको रिटर्न भरने या अन्य कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस तरह आप कंप्यूटर के द्वारा अपने घर या दुकान में बैठे-बैठे ही सब काम कर सकेंगे। फिर सारे देश के लिए एक ही e-way bill होगा और

उस e-way bill के जरिए आप सारे देश में माल की ढुलाई कर सकेंगे। इसके कारण जो हमारे डायरैक्ट टैक्स हैं, इनकम टैक्स और कसटम ड्यूटि को छोड़कर ऐसे सारे टैक्स एक ही टैक्सेशन प्रावधान के अंतर्गत आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जब चुनाव होते हैं तो इंस्पैक्टी राज मैनिफैस्टो का एक प्रमुख हिस्सा होता है। मैनिफैस्टो में लिखा होता है कि हम इंस्पैक्टरी राज को ख़त्म कर देंगे। लेकिन रियलिटी में वह केवल हमारे मैनिफैस्टो का ही हिस्सा रह जाता है, वास्तव में उसको कभी भी इंप्लीमैंट नहीं किया गया। परंतु इस जी.एस.टी. एक्ट के लागू होने के बाद सारे देश भर में वह इंस्पैक्टरी राज अब समाप्त हो जाएगा।

इसमें ऑडिट की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन वह ऑडिट कंप्यूटर के द्वारा रैंडम तौर पर होगा अन्यथा आम जनता और आम कारोबारियों का इसमें कोई ऑडिट नहीं होगा। जो हमारे बहुत से टैक्सिज या बहुत सारी सेवाएं हैं, इस जी.एस.टी. एक्ट के कारण अब उन सबका विलय हो जाएगा और जब वह एक ही जगह केंद्रित हो जाएंगे तो प्रशासन में भी पारदर्शिता बढ़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के महत्व का पता हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस बिल के प्रभारी मंत्री, जिन्होंने बिल पेश किया है, वह माननीय प्रकाश चौधरी जी हैं, लेकिन सदन में आज यह बिल माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं पेश किया है। जैसा माननीय धूमल जी ने हमें बताया, इस बिल के कारण बहुत-सी वस्तुएं टैक्स रहित हो जाएंगी। कंज्यूमर आइटम्ज जैसे अनाज, खाद्यान्न, सब्जियां या इस प्रकार की जितनी भी वस्तुएं हैं, वह सारी-की-सारी जीरो परसैंट टैक्स रेट में आ जाएंगी। उससे ऊपर की जो कुछ आम कंजंप्शन की वस्तुएं हैं, उनके ऊपर

27.05.2017/1135/SLS-YK-2

केवल मात्र 5% टैक्स लगेगा। फिर उससे ऊपर की जो स्टैंडर्ड रेट की वस्तुएं हैं, जो ज्यादातर सर्विसिज और वस्तुओं को कवर करती हैं, उन पर 12-18% के बीच टैक्स लगेगा। केवल मात्र पान मसाला, गुटका जैसी आइटम्ज और हवाई जहाज की यात्रा जैसी लग्जरी सेवाओं पर 28% टैक्स का प्रावधान सारे देश भर में रखा गया है। इस जी.एस.टी. एक्ट के द्वारा सारे देश भर में एक जैसा टैक्स लगाया जाएगा। मैं समझता हूं कि जो यह

बिल हिमाचल प्रदेश विधान सभा में भी आया है, इस बिल के कारण प्रदेशों को भी लाभ होगा। शुरू के 5 साल बहुत सारे प्रदेशों ने इस जी.एस.टी. बिल का विरोध इसलिए किया कि हम जो बहुत सारे टैक्स बिलों के द्वारा इकट्ठा करते हैं, वह कम हो जाएंगे। वास्तव में उस समय भी इस जी.एस.टी. बिल के ऊपर सारे देश में राजनीतिक आधार पर विरोध नहीं था। उस वक्त भी विरोध मैनुफैक्चरिंग और कंज्यूमर स्टेटस के बीच में था। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिलनाडु आदि जो प्रदेश इसका इसलिए विरोध करते थे कि इससे हमारा टैक्स रैवन्यु कम हो जाएगा।

कंज्यूमर स्टेटस को तो इससे लाभ ही होगा। अल्टीमेटली केंद्रीय सरकार ने इसमें सारी व्यवस्था करके एक कौंसिल का निर्माण किया है और वह कौंसिल यह सारा कुछ तय करेगी। रिकॅमैंडेटरी पॉवर्ज़ इसमें मैंडेटरी कर दी गई हैं। इसलिए इसमें जो सैंट्रल कौंसिल बनेगी, वह इसमें जो भी रिकॅमैंड करेगी वह रिकॅमैंडेशन सारे प्रदेशों और केंद्र के नियमों में आ जाएंगी ताकि उसमें कोई विरोधाभास न रहे।

जारी ...श्री गर्ग जी

27/05/2017/1140/RG/AG/1
श्री सुरेश भारद्वाज----क्रमागत

और उनको यह पॉवर इसलिए दी गई है कि सारे देश में इसके कारण एक जैसा स्ट्रक्चर खड़ा हो सके। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो जी.एस.टी. संविधान संशोधन के द्वारा सारे देश में एक जैसा जो लागू हुआ जिसको हमने इस सदन में भी रैटीफाई करके भेजा था, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में विशेष सत्र के द्वारा जो यह 'हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017' सदन में पेश किया है, इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और इसके लिए हम देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के माननीय वित्त मंत्री और देश की सरकार का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ-ही-साथ सभी प्रदेश सरकारों व अपनी सरकार का भी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस ऐक्ट को लाने का प्रबन्ध किया है ताकि यह 1 जुलाई, 2017 से सारे देश में लागू हो सके। इसके लिए इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

27/05/2017/1140/RG/AG/2

अध्यक्ष : अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री चर्चा में भाग लेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण रिफॉर्म से आज इतिहास का एक नया दौर हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए शुरू होगा। पूरे देश में यह एक बड़ा रिफॉर्म है जिसके लिए माननीय श्री राहुल गांधी के साथ डॉ. मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, उस समय काम शुरू हुआ। ---(व्यवधान)-- क्षमा करें, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के साथ जब डॉ. मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। (interruption) Slip of tongue, अब मैंने करैक्ट कर लिया। --(व्यवधान)---अब आप बैठ जाएं।

अध्यक्ष : प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : धूमल जी, आप थोड़ा प्यार से बोलें और हमने भी बोलना है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : पठानिया जी, यदि आपको समझ न आए, तो मत बोला करिए। अध्यक्ष महोदय, डॉ. मनमोहन सिंह जी वर्ष 1990 में राज्य सभा में आए, जब राहुल गांधी जी राजनीति में कहीं नहीं थे और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ने उनको मंत्री बनाया था।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने रिफॉर्म्ज की बात की, आप चैक कर लें। रिफॉर्म्ज, यदि आपने कम्प्युट्राईजेशन का युग सुना हो । am starting from the reforms. You said the reforms started with late Shri Rajiv Gandhi, the then Prime Minister of this country. It started during that time and then later on led by Shri P.V. Narasimha Raoji. ---(Intrurrption)----पण्डित जी,

आपके कारण मेरा ज्ञान बहुत बढ़ा है। कृपा करके आप मेरा और ज्ञान अलग से बढ़ा देना। मगर उसके साथ-साथ जब यह सारा काम हो रहा था, मैं इधर भी आ रहा हूं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री और आपकी पार्टी भी बधाई की पात्र है। लेकिन उसके साथ-साथ आप यह न भूलें कि यह संभव नहीं था अगर कांग्रेस पार्टी का, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का और विपक्ष के नेता तथा इसके अतिरिक्त जो सारी पार्टीज़ हैं, अगर उनका सहयोग या सहयोगी रवैया न होता, तो शायद

27/05/2017/1140/RG/AG/3

आज यह बिल इतिहास के पन्नों में नहीं आता। इसलिए इसके लिए सभी सरकारों ने लगातार प्रयत्न किए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आप लोग लेना भूल गए, उन्होंने भी इसके लिए प्रयत्न किए। ---(व्यवधान)---इसलिए उनके समय में भी इसके लिए प्रयत्न होते रहे। इसके लिए लगातार प्रयत्न होते रहे। श्री आनन्द शर्मा जी ने इस पर एक लंबा-चौड़ा भाषण संसद में दिया था। सैंकड़ों डिबेट्स इस पर हुईं--(व्यवधान)---माननीय श्री नितिन गडकरी ने भी भाषण दिया और अन्य लोगों ने भी इस पर अपना भाषण दिया। अगर इसके रिफॉर्म्ज के साथ आप राज्यों की भागीदारी को दरकिनार करें, तो वह भी ठीक नहीं होगा। आप अपने लिए इसका श्रेय लीजिए। जो आपने शुरू किया कि जो भी चीज हो रही है, वह 70 साल में पहली बार हो रही है और सब कुछ सर्वप्रथम हो रहा है। तो 70 साल के बाद कुछ भी शुरू नहीं हुआ या इससे पहले से कुछ शुरू नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। जो रिफॉर्म्ज शुरू हुए और जब आप कोई भी पेड़ लगाते हैं, तो उसको छाया देने में समय लगता है।

एम.एस. द्वारा जारी

27/05/2017/1145/MS/AG/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जारी------

आज न्यूक्लियर एनर्जी में देश कहां खड़ा है? आज जी0डी0पी0 बढ़ी है और इसके साथ और भी बढ़ेगी। कोई भी टैक्स रिफॉर्म करेंगे तो जी0डी0पी0 बढ़ेगी, यह वाजिब है। अगर

आप लोग यह कहते हैं--(व्यवधान)--पंडित जी, बाद में मेरा ज्ञान बढ़ा देना। आपको पता है कि होटलों के ऊपर कितना लग्जरी टैक्स लग रहा है? कभी आपने उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया? इसलिए कृपा करके उनके ऊपर भी कभी चर्चा का प्रयास करें। हमारी टूरिज्म स्टेट है। टूरिज्म स्टेट में अगर आपके पास छोटे-छोटे होटल हैं और उन छोटे-छोटे होटलों के ऊपर अगर टैक्सेशन का इतना लोड पड़ जाएगा तो क्या वे रोज़गार क्रिएट कर सकेंगे? इसलिए इनके ऊपर भी हमें दिल्ली जाकर अपनी स्पैशल स्टेट की बात करनी चाहिए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उसके लिए सरकार को वहां बुलाया था, आप वहां क्यों नहीं बोले?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलेः माननीय धूमल साहब, यह आपकी और मुख्य मंत्री जी की बात होगी। अगर आप वहां चलें क्योंकि आपके भी वहां सांसद बैठे हैं जिनमें श्री शांता कुमार जी हैं और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं तो उनको भी वहां प्रदेश-हित में बात करनी चाहिए। हमें प्रदेश-हित के ऊपर कम-से-कम वित्त और कानून-व्यवस्था के बारे में कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के भी आभारी हैं कि यह एक बहुत बड़ा काम इतिहास में हो रहा है। मगर उसके साथ-साथ कृपा करके जिन-जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया है उनका नाम भी रिकॉर्ड में आना चाहिए। हमारे नेताओं श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी का भी इसमें बड़ा योगदान है और इसको करने के लिए श्री आनन्द शर्मा जी ने तथा हमारे पार्टी के लोगों ने भी योगदान दिया है। धूमल साहब को पता है कि वहां कैसे फ्लोर कॉर्डिनेशन होती है यानी यह सारी चीज फ्लोर कॉर्डिनेशन से ही संभव हुई है और इससे जी0डी0पी0 बढ़ेगी।

27/05/2017/1145/MS/AG/2

जैसे आपने कहा कि the growth will be protected for next five years. Protection is there for next five years. उस सारी चीज को सुलझाया गया है और उसके लिए एक कन्सेंसिज बनाया गया है मगर कन्सेंसिज तभी संभव हुआ जब सबने एकमत होकर यह

कहा कि यह देश के लिए बड़ा जरूरी है। मैं पीछे की हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूं कि यह बिल पहले क्यों नहीं हो सका। वह इसलिए क्योंकि बीच में कहीं-न-कहीं अडंगा पड़ जाता था। आज अच्छा दिन है और अच्छा माहौल है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां इस बिल को लेकर आए हैं और विपक्ष के नेता प्रो0 धूमल साहब जी ने उसको सपोर्ट किया है और सभी सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आज इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर मैं माननीय वीरभद्र सिंह जी को, सरकार को तथा विपक्ष को भी मुबारिकवाद देता हूं कि एक ऐतिहासिक बिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।

27/05/2017/1145/MS/AG/3

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, यह जो माल और सेवा कर अधिनियम माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां प्रस्तुत किया है, मैं भी इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यहां आदरणीय धूमल जी ने भी और भारद्वाज जी ने भी अपने विचार इस जी0एस0टी0 बिल के बारे में प्रस्तुत किए हैं। आज का यह दिन हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक सुधारों को मध्यनजर रखते हुए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन साबित होगा। मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन बाली जी थोड़ा ट्रैक से उतर गए। बाली जी, आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय डॉ0 मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री नहीं थे। वर्ष 1991 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तब डॉ0 मनमोहन सिंह जी उस सरकार में वित्त मंत्री बने। यह सही कहा कि विभिन्न समय में विभिन्न सरकारों ने इसके लिए प्रयास किए हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है। किसी भी काम को अमलीजामा पहनाने के लिए समय लगता है और निश्चित तौर पर 70 साल का समय इसके लिए लगा। लेकिन जिस ढंग से वर्तमान केन्द्र सरकार ने नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विभिन्न विकास के कामों को लेकर एक छाप छोड़ी है ताकि इस हिन्दुस्तान का एक नया स्थान पूरे विश्व में बने। एक नया प्रयास जो उन्होंने किया है इस बात का इतिहास साक्षी है कि आने वाले समय में भारतवर्ष एक मांगने वाला देश नहीं बनेगा बल्कि ऐसे-ऐसे प्रयासों के कारण कई देशों का सुधार करने वाला और सहायता देने वाला यह देश बनेगा। इसके लिए -(व्यवधान)--मैं विरोध में थोड़े ही बोल रहा हूं, मैं तो इस बिल के पक्ष में बोल रहा हूं। हमारी केन्द्र की सरकार को बने हुए पिछले कल पूरे तीन साल हो गए हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

27.05.2017/1150/जेके/डीसी/1

श्री रविन्द्र सिंहः--------**जारी**--------

उसके लिए मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं और साथ में इन तीन वर्षों में जो विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए हैं, चाहे नोटबन्दी का विषय हो, चाहे विभिन्न आर्थिक सुधारों में कई काम करने के विषय हो, चाहे जन-धन योजना के माध्यम से विभिन्न बैंकों में खाता खुलवाने की बात हो या और भी योजनाएं जो यहां पर लागू की, उसी के माध्यम से एक यह प्रयास भी, जो आर्थिक सुधारों हेतु माल व सेवा कर यहां पर लागू किया यह प्रशंसनीय है। यह सही है कि हम एक उपभोक्ता राज्य है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्य बीच में बार-बार टोक रहे हैं। कहीं भी, कभी भी हमारे किसी नेता ने और प्रधान मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि हम 15 लाख रूपए किसी को देंगे। (व्यवधान) मुझे याद है, उस समय जब भाषण होते थे उस समय उन्होंने कहा था कि इतना भ्रष्टाचार इस देश में हो चुका है कि जो पैसा इस देश का विदेशों में जमा है अगर उस पैसे को इस देश में लाया जाएगा तो यहां के एक-एक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रूपया आ सकता है। यह उन्होंन कहा था। (व्यवधान) यह नहीं कहा था कि हम देंगे। यह कतई नहीं कहा था। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार ने इस देश की जनता को काम करना सिखाया है। खुद भी काम करते हैं और देश की जनता को भी काम करना सिखाया है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह सही कहा गया कि इस जी0एस0टी0 के माध्यम से

27.05.2017/1150/जेके/डीसी/2

निश्चित तौर पर एक कर प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू होगी । हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता राज्य है। हम कोई चीज दिल्ली से ले कर आते हैं, वह चीज कई बार यहां पर मंहगी मिलती है और कई बार सस्ती मिलती है। अब सारे देश में एक कर होगा। कहीं पर आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहां से कोई चीज खरीद रहा हूं। केन्द्र सरकार ने जो

आर्थिक सुधार करके दिखाएं हैं, पहली जुलाई के बाद आप देखेंगें कि इसमें बहुत बड़ा सुधार आने वाला है और अध्यक्ष महोदय, न केवल आम आदमी को इसका लाभ प्राप्त होगा बल्कि राज्यों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि आपने सही समय पर, पहली जुलाई से पहले-पहले इस बिल को पास करना था, लागू होना था, उससे पहले आपने भी इसको यहां पर पेश किया है। मैं इसका समर्थन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.05.2017/1150/जेके/डीसी/3

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री कुलदीप कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक ऐतिहासिक बिल जी0एस0टी0 पास होने जा रहा है जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेष सत्र बुलाकर पास करने के लिए यहां पेश किया है। मैं भी इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, सभी ने इसकी तारीफ की है और वाकई में यह जी0एस0टी0 बिल एक ऐतिहासिक बिल होगा। देश में जो विभिन्न स्टेजिज़ पर टैक्सिज़ लगते थे, अब एक ही स्टेज पर टैक्स लगेंगें। यूनिफोर्म टैक्स होंगें और डिफरेंट स्टेजिज़ पर जो टैक्सिज़ लगते थे, वह परेशानी दूर होगी। यह इस बिल का फायदा होगा ।हम यहां पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहते थे लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। माननीय बाली जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यह भी इकनॉमिक रिफोर्मज़ का एक हिस्सा है। पिछली जो सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकार रही या और सरकार रही, जो-जो प्रधान मंत्री रहे, उस समय से ये रिफोर्मज़ चलते आए हैं और यह निरन्तर प्रथा चली है। केन्द्र की सरकार ने जी0एस0टी0 पास करने के लिए जो पग उठाए हैं, उनकी हम सराहना करते हैं लेकिन कुछ शंकाएं हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

27.05.2017/1155/SS-AS/1

श्री कुलदीप कुमार क्रमागतः

जो माननीय बाली जी ने भी बात कही, जैसे हमारा टूरिज्म सैक्टर है उसमें भी परेशानी आ सकती है। इसके अलावा कई और सैक्टर्ज़ हैं जहां जी0एस0टी0 का पैनिक है। जी0एस0टी0 के लागू होने से पहले कई मार्किटस में एक पैनिक-सा क्रियेट हुआ है कि क्या होगा! व्यापारियों में इस पैनिक से सारी मार्किट में स्लम्प आया हुआ है। मेरी एक और शंका है, जैसे माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने भी कहा कि हम इम्पोर्ट जितना मर्जी करें उसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं तो हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, माननीय रवि जी तो बड़ी इंटरनेशनल मार्किट की बात कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर और होर्टिकल्चर प्रोड्यूस स्टेट है। यहां छोटे-छोटे किसान हैं जो एग्रीकल्चर की छोटी-छोटी आइटम्ज़ बाहर भेजते हैं। होर्टिकल्चर की आइटम्ज़ या प्रोड्यूस बाहर भेजते हैं लेकिन अब जी0एस0टी0 में प्रोविजन है, जैसे माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने भी बात कही कि वे चीज़ें हमें बाहर भेजने के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा। अब यह शंका हमारे हिमाचल प्रदेश के छोटे-छोटे किसान/बागवान में है कि वे कहां रजिस्ट्रेशन करवायेंगे, कौन हिसाब-किताब रखेगा। इनके लिए यह बहुत परेशानी का मसला है। हमारे किसानों/बागवानों के लिए यह दिक्कत आने वाली है। इसके साथ-साथ कुछ ऐसी आइटम्ज़ हैं जो इंटरनेशनल मार्किट से संबंध रखती हैं जिनके इंटरनेशनली रेटस फिक्स होते हैं। जिन-जिन आइटम्ज़ पर 18 परसैंट रेट जी0एस0टी0 का लगा है, अगर इंटरनेशनली सेल का रेट फिक्स होता है तब वह टैक्स का रेट प्रोड्यूसर पर आयेगा और जो प्रोड्यूस है उसके रेट कम होंगे। इस प्रकार उन प्रोड्यूसर्ज़ को नुकसान होगा। यह भी एक शंका की बात है। मैं चाहता था, जैसे बाली जी ने कहा कि हमारे माननीय सदस्य यहां बैठे हैं और हमारे माननीय एम0पी0 वहां बैठे हैं वे इन मसलों को जोकि हमारी स्टेट से संबंधित हैं दूर करवाते तो अच्छा रहता। आज बहुत खुशगवार माहौल में यह जी0एस0टी0 बिल पास हो रहा है मैं केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार का भी धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं।

27.05.2017/1155/SS-AS/2

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 174 तक विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 और 174 विधेयक का अंग बने।

जारी श्रीमती के0एस0

27.05.2017/1200/केएस/एएस/1

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि अनुसूची 1, 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुसूची 1,2 और 3 विधेयक का अंग बनीं।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6)को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6)को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 6) सर्वसम्मति से पारित हुआ।

27.05.2017/1200/केएस/एएस/2

अध्यक्षः इससे पूर्व कि मैं सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करूं, सभा में उपस्थित सभी से मेरा निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सभा में उपस्थित सभी राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए)

अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **(सुन्दर सिंह वर्मा)**
दिनांकः 27 मई, 2017 **सचिव।**